

प्रेस-विज्ञप्ति  
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 10.09.2021

थाना शिवली

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 428/21 धारा 294 भादवि में त अभियुक्त सुहैल खाँ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(2)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 174/16 धारा 147/323/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण कल्लू आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(3)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 129/07 धारा 323/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त शिवमंगल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(4)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 274/16 धारा 323/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त फिज्जू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(5)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 174/20 धारा 272/273 भादवि व 60आबकारी अधि0 में वारण्टी अभियुक्त शिवमंगल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(6)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 129/07 धारा 323/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सनी को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(7)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 267/12 धारा 380/411 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मुन्नालाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(8)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 877/17 धारा 60आबकारी अधि0 में वारण्टी अभियुक्त अमरसिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

(9)

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 481/16 धारा 366/376/323/328 भादवि में वारण्टी अभियुक्त रवि चिकवा को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना सट्टी

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 68/21 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त उजाला उर्फ उत्कर्ष को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना बरौर

दिनांक 09.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 01/11 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट व अ0सं0 569/13 धारा 498ए/323/504/506 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त अंसार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

